जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक
L.N. BRLPS/Proj-SD/1613/19/367 Date :- 03/06/2021

कार्यालय आदेश

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में इस वर्ष मिशन 5 करोड़ पौधारोपण अभियान विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के सहयोग से किया जाना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जीविका द्वारा सभी दीदीयों के द्वारा पौधारोपण किये जाने हेतु सहयोग का निर्णय लिया गया है , जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सम्बंधित परिवार के पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उपरोक्त कार्यक्रम को "हरित जीविका हरित बिहार-1.5" के नाम से कार्यन्वियत किया जाएगा। सम्पूर्ण अभियान में कम से कम 1.5 करोड़ पौधे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से जीविका समूहों को प्राप्त होना है । उपरोक्त कार्यक्रम को निम्न चरणों में संपादित किया जाएगा :-

1. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर बारहमासी सड़क से जुड़े सभी गांव एवं सदस्य परिवारों को मांग अनुरूप या उपलब्धता के आधार पर दीदियों को शिशुपौधे उपलब्ध करवाया जाएगा । बाढ़ एवं जलजमाव के कारण वाधित क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र जहां पर विभाग से पौधे उपलब्ध ना हो पाए, जीविका , सभी दीदियों को प्रेरित करेगी कि वह अपने आस पास उपलब्ध शिशुपौधे जैसे सहजन, पपीता या अन्य पौधे स्वत: से अपने घर में निश्चित रूप से रोपित करें।
2. जीविका के द्वारा पंचायत , ग्राम संगठन वार एवं ड्राप पॉइंट नोडल कैडर के साथ app के माध्यम से सूक्ष्म योजना (micro plan) का निर्माण कर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ साझा की जा रही है । कई जिलों में पौधे की उपलब्धता एवं अन्य कारणवश सूक्ष्म योजना में कुछ बदलाव जीविका एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागके समन्वय से किया जा सकेगा।
3. ड्राप पॉइंट एवं ड्राप पॉइंट कैडर का निर्धारण प्रत्येक 4-6 ग्राम संगठनों पर किया जा सकेगा। रूट एवं ड्राप पॉइंट निर्धारित करते समय यह ध्यान रहे की किसी दीदी को 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चलने की स्थिती ना हो साथ ही साथ एक ड्राप पॉइंट नोडल कैडर अधिकतम 4-6 ग्राम संगठनो का समन्वयित एवं प्रतिनिधित्व करे।
4. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा स्थापित पौधशाला के माध्यम से संबंधित ग्राम संगठनों के माइक्रो प्लान में निर्धारित ड्राप पॉइंट तक शिशु पौध आपसी समन्वय से ससमय पंहुचाना सुनिश्चित किया जाएगा। ड्राप पॉइंट का जिओ लोकेशन निर्धारित वन मित्रा एप के माध्यम से पूर्व से चिन्हांकन कर लिया जाना आवश्यक है ताकि शिशु पौध वाहक वाहन को आने में आसानी हो। ड्राप पॉइंट किसी खुले स्थान एवं संपर्क सड़क के जुड़े स्थान पर किया जाना उपयुक्त होगा।

5. पिछले वित्तीय वर्ष 20- 21 के सूक्ष्म योजना निर्माण सह उत्तरजीविता सर्वे में कम उत्तरजीविता की स्थिति में दिनांक 5-15 जून 2021 के मध्य जीविका के द्वारा सामुदायिक संगठनो एवं दीदी के सहयोग विशेष अभियान चलाकर 80 % से ज्यादा वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाय।
6. वन विभाग के सहयोग से किये जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के दौरान वृक्षारोपण का समयावधि जिले के सम्बंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के समन्वय से बाढ़ की स्थिती एवं अन्य स्थानीय परिस्थिती को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जायेगी । यह किसी भी परस्थिति में 15 अक्तूबर 2021 से पहले निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जायेगी।
7. वृक्षारोपण के दिन दीदी अपने ग्राम संगठन से ड्राप पॉइंट तक अधिकतम तीन-से-चार दीदियों के समूह में जायेंगे ताकि केंद्र पर भीड़ की स्थिति ना बन पाये। पौधा प्राप्त करने की क्रम में एक दीदी से दुसरे दीदी की दूरी कम से कम दो मीटर हो एवं सभी दीदी मास्क अवश्य पहनी हो, का ध्यान रखना आवश्यक होगा। ड्राप पॉइंट नोडल कैडर पौधा वितरण तिथि को निर्धारित समय पर शिशु पौध वाहक से समन्वय स्थापित करते हुए सभी CM दीदीयों के साथ उपस्थित रहेंगे ताकि पौधशाला से वाहन पहुंचने पर यथासंभव पौधे दीदियों को उपलब्ध करवा दिए जाय। ड्राप पॉइंट पर वाहन पहुचने में किसी कारण देर होने की स्थिती में दीदीयों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए पर्यावरण, कोरोना टीकाकरण, जल संरक्षण पर चर्चा की जायेगी। एवं सम्बंधित जीविका मित्र उपस्थित जीविककर्मी Faciltator के रूप में दीदियों को सहयोग देंगें ।
8. सभी संबंधित ड्राप पॉइंट नोडल कर्मी दीदियों से आधारकार्ड की एक स्व प्रमाणित प्रतिलिपि लेते हुए वृक्ष की प्रजाति एवं संख्या का निम्न प्रपत्र पर दर्ज करने के साथ हस्ताक्षर लेंगे, साथ ही साथ संकुल स्तरीय संघ के द्वारा निर्गत वृक्ष प्राप्ति पंजी एवं निर्धारित एप में सूचना दर्ज कर अपने संकुल स्तरीय संघ को समर्पित करेंगें। जिसका फॉर्मेट निम्न प्रकार का होगा :

क्र	दीदी का नाम	प्राप्त शिशु पौध का प्रकार	शिशु पौध की संख्या	समूह का नाम	ग्राम संगठन का नाम	आधार संख्या	मोबाईल संख्या	दीदी का हस्ताक्षर

9. सभी दीदियों को एक फलदार वृक्ष विभाग के द्वारा दिया जाना है अतः दीदियों को ससमय प्रशिक्षण देते हुए गड्ढा करवाना अत्यावश्यक है इस उद्देश्य से जीविका एवं वन विभाग के समन्वय से वीडियो फिल्म बनाई गई है जिसे दिनांक 25/06/2021 तक सभी जीविका दीदियों को कैडर का सहयोग लेते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा एवं दिनांक 10-25 जून 2021 तक गड्ढा खोदो दिवस के रूप में भी मनाया जायेगा।
10. इस कार्य हेतु जीविका प्रखंड एवं जिला कार्यालय अधिकतम सात दिनों का गाड़ी का प्रावधान किया जाता है।

11. इस कार्य में सहयोग करने हेतु सभी ड्राप पॉइंट नोडल कैडर को सीआरपी हेतु निर्धारित दर के अनुरूप अधिकतम 10 दिनों का भुगतान किया जा सकेगा। सभी डॉप पॉइंट कैडर का भुगतान ऐप में संधारित प्रतिवेदन एवं CLF संकुल वृक्षारोपण पंजी के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। जिसपर सम्बंधित CLF अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से कोई दो एवं सम्बंधित क्षेत्रीय समन्वयक का अनुमोदन आवश्यक है।

12. 2020-21 में रोपित पौधे का एप में तकनीकी कारणों प्रविष्टी नहीं होने के स्थिती में और 70 % से ज्यादा उत्तरजीविता होने के स्थिती में CLF के अनुमोदन पर पूर्व निर्धारित मानदेय भुगतान किया जा सकता है।

13. सभी LHS/ सामुदायिक समन्वयक / क्षेत्रीय समन्वयक एवं अन्य कर्मियों को पंचायत आवंटित किया जाएगा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम को अपने पंचायतों में समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण करना एवं उत्तरजीविता सुनिश्चित करेंगे।

14. प्रबंधक सामाजिक विकास / प्रभारी प्रबंधक सामाजिक विकास इस कार्य में नोडल कर्मी के रूप में कार्य करेगें तथा सम्बंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सहयोग देंगें।

15. सभी प्रखंड एवं जिला मेंटर सम्बंधित प्रखंड एवं जिलों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग देंगें।

16. वृक्षारोपण हेतु समस्त प्रक्रियाओं और सभी कार्य की तैयारी (ड्राई रन) के दिनांक 17 जुलाई 2021 सभी प्रखंडों के कम से कम एक पंचायत तक अवश्य कर ली जायेगी।

सभी जीविका कर्मी उपरोक्त कार्यक्रम को पूर्ण करने में स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को सहयोग करेंगें। सम्पूर्ण अभियान के दौरान निर्धारित CoViD दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य है।

13/06/2021

(बालामुरुगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह- राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ वित्त प्रबंधक/प्रबंधक -सामाजिक विकास
2. सभी PC/SPM/PM/SFM/AFM
3. OSD/Director/AO/CFO/PS/PO
4. आई०टी० सेक्शन